APP-A
Crim-J

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

[illegible] बनाम [illegible]
वादी बनाम प्रतिवादी

[illegible] सं० 3/06 सन्

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/1/06	वादी/वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी /प्रतिवादीगण को नोटिस तामील तलब की जावे। वाते - तलबी दिनांक 13/2/06 की पेश हो।	
[illegible]-06	वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र की पेश कर वकालतनामा पेश किया गया प्रार्थनापत्र में वकालतनामा पेश करने की प्रार्थना की गयी। [illegible] (आदेश) देते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वकालतनामा पेश किया है। प्रकरण आगामी दिनांक को प्रकरण कार्यवाही के लिए आदेश दिये जाते हैं। पक्षकारों को सूचना भेजी जावे। 15-2-06 को पेश हो।	
15/2/06	बकुलाय उभय पक्षकार हेतु सम्मन चाहिए। अगली तिथि 27.2.06 को पेश हो।	
27.2.06	बकुलाय उभय पक्षकार हेतु सम्मन चाहिए। अगली तिथि 29/5/06 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

		पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	अनुपालना का संक्षिप्त नोट
26.7.17	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पत्रावली न्याय आप के समक्ष शिविर (छुट्टी होने पर) नीलामी पीठासीन अधिकारी की मीटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 8.8.17 को प्रस्तुत करें।		
8.8.17	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 8.12.17 को प्रस्तुत करें। e		
	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता 8.12.17 पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 14.3.18 को प्रस्तुत करें।		
14.3.18	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 8.6.18 को प्रस्तुत करें। e		
7.5.18	पत्रावली न्याय आप के शरणशिविर में मेहता सेवा केन्द्र में पेश हुई वकील वादी को हिदायत की जाती है कि आगामी पेशी पर साक्ष्य पेश करें। साक्ष्य हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 15.5.18 को पेश हो।		
15.5.18	पत्रावली न्याय आप के द्वारा शिविर में मेहता सेवा केन्द्र गोवाड़ में पेश हुई वकील वादी को हिदायत की जाती है कि आगामी तारीख पेशी पर अवश्य		

		कम से कम पेश करें। न्याय हित में एक अवसर और दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 28.5.18 को पेश हो। इतना लिखने के पश्चात वकील वादी ने उपस्थित होकर नोट प्रेस कर निवेदन किया कि वादीगण वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं इसलिये अंतिम निर्णय को खारिज किया जावे। वकील वादी के निवेदन पर वादीगण का वाद अंतिम निर्णय खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।	Not Press [illegible]

Scanned by CamScanner